



SARDAR PATEL UNIVERSITY OF POLICE, SECURITY AND CRIMINAL JUSTICE

Lordi Panditji, Jodhpur- 342037
(Home Department, Government of Rajasthan)



No.F.8(57)/SPUP/Exam/ 2022-23/FSL Exam/2908

September 28, 2022

SFSL Sr. Scientific Assistant & Jr. Scientific Assistant **Direct Recruitment - 2022**

Online applications were invited by the Sardar Patel University of Police, Security and Criminal Justice, Jodhpur from eligible candidates vide advertisement No.F.8(57)/SPUP/Exam/ 2022-23/FSL Exam/2741 dated September 19, 2022 for recruitment to 3 posts of Sr. Scientific Assistant (SSA) and 25 posts of Jr. Scientific Assistant (JSA) in various divisions of **State Forensic Science Laboratory, Home (Group-1) Department, Govt. of Rajasthan** under **Rajasthan Forensic Sciences Laboratory Subordinate Service Rules-1980, 2015 and 2020.**

In continuation to the advertisement No.F.8(57)/SPUP/Exam/ 2022-23/FSL Exam/2741 dated September 19, 2022, Detailed Advertisement is issued herewith for Eligibility Criteria, Age Limit, Application Fee, Education Qualification, Experience, Syllabus of the Exam, Instructions, Application Process, etc.

Link to apply online shall be available on the University website www.policeuniversity.ac.in from the midnight of 03.10.2022 to Midnight of 02.11.2022.

Candidates are advised to visit the University website www.policeuniversity.ac.in regularly for more information about the Exam/ Recruitment. For any kind of clarification/ directions/ information Candidates may visit the University personally or may contact on phone No.0291-3500607/9875776110 & email id sfslrect@policeuniversity.ac.in.

Coordinator/ Nodal Officer
SFSL SSA & JSA Recruitment, 2022



SARDAR PATEL UNIVERSITY OF POLICE, SECURITY AND CRIMINAL JUSTICE



Lordi Panditji, Jodhpur- 342037
(Home Department, Government of Rajasthan)

No.F.8(57)/SPUP/Exam/ 2022-23/FSL Exam/2741

September 19, 2022

SFSL Sr. Scientific Assistant & Jr. Scientific Assistant **Direct Recruitment - 2022**

Sardar Patel University of Police, Security and Criminal Justice, Jodhpur invites online applications from eligible candidates for recruitment to 3 posts of Sr. Scientific Assistant (SSA) and 25 posts of Jr. Scientific Assistant (JSA) in various divisions of **State Forensic Science Laboratory, Home (Group-1) Department, Govt. of Rajasthan** under **Rajasthan Forensic Sciences Laboratory Subordinate Service Rules-1980, 2015 and 2020**. These posts are permanent in nature and number of posts may be increased or decreased.

Detailed Advertisement for Eligibility Criteria, Age Limit, Application Fee, Education Qualification, Syllabus of the Exam, Instructions, Application Process & Link to apply online shall be available on the University website www.policeuniversity.ac.in from 28.09.2022.

Candidates are advised to visit the University website www.policeuniversity.ac.in regularly for more information about the Exam/ Recruitment. For any kind of clarification/ directions/ information Candidates may visit the University personally or may contact on phone No.0291-3500607/9875776110 & email id sfslrect@policeuniversity.ac.in.

Coordinator/ Nodal Officer
SFSL SSA & JSA Recruitment, 2022



सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय
लोरडी पण्डितजी, जोधपुर (राज.)-342037



वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक एवं कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक सीधी भर्ती परीक्षा-2022

विस्तृत विज्ञापन

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, गृह (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के लिये राजस्थान विधि विज्ञान अधीनस्थ सेवा नियम-1980, 2015 एवं 2020 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदों हेतु निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन पत्र (On Line Application) आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र.सं. (S.No.)	खण्ड का नाम (Name of Division)	पदों की संख्या (Number of Posts)	
		वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (Senior Scientific Assistant)	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (Junior Scientific Assistant)
1	डीएनए (DNA)	01	01
2	साईबर (Cyber)	01	02
3	पॉलीग्राफ (Polygraph)	01	02
4	विष (Toxicology)	-	07
5	भौतिक (Physics)	-	01
6	सीरम (Serology)	-	03
7	जैविक (Biology)	-	02
8	प्रलेख (Document)	-	02
9	फोटो (Photo)	-	03
10	रसायन (Chemistry)	-	01
11	नारकोटिक्स (Narcotics)	-	01
कुल योग (Total)		03	25

1.आवेदन प्रक्रिया :-

- ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक **03.10.2022 मध्य रात्रि 12 बजे से 02.11.2022 को मध्य रात्रि 12 बजे तक** विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर भरे जा सकते हैं (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा)। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करें।
- उक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.policeuniversity.ac.in पर उपलब्ध ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों (Instructions for Applicants) एवं विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेंगे। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें। विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों के लिए दिशा-निर्देश (Instructions for Applicants) विज्ञापन का ही भाग/हिस्सा माना जायेगा।
- विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.policeuniversity.ac.in के Home page पर जाकर SFSL Recruitment Exam 2022 पर click करें। Click करने के उपरान्त एक नयी screen/window खुलेगी। जहां Apply online option पर click करें।
- अपने आवेदन को Register करने के लिए “CLICK HERE FOR NEW REGISTRATION” पर click करें एवं अपना नाम, email Id एवं Contact No. डालें।
- इसके उपरान्त एक Provisional Registration Number एवं Password सिस्टम द्वारा जेनेरेट किया जायेगा एवं स्क्रीन पर दिखाई देगा। आवेदक अपना Provisional Registration Number तथा Password कही पर लिख लें।
- Provisional Registration Number एवं Password आवेदक को ई-मेल एवं SMS के माध्यम से भी भेजा जायेगा।
- यदि कोई आवेदक एक बार में अपना आवेदन पूर्ण नहीं कर पाता है तो वह अपने द्वारा डाली गई सूचना को “Save & Next” टैब पर click करके सुरक्षित कर सकता है।
- आवेदक Application Form को अंतिम रूप से submit करने से पहले “Save & Next” सुविधा के माध्यम से अपने द्वारा भरी गई सभी सूचनाओं को verify कर ले एवं अगर जरूरत हो तो modify भी कर सकता है।
- सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अपना application form ध्यान से भरें एवं सभी भरी सूचनाओं को अंतिम रूप से जमा करने से पहले verify कर ले। “Complete Registration” पर click करने के उपरान्त application form में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा तथा ना ही वि.वि. द्वारा ऐसी किसी request को स्वीकार किया जायेगा।
- आवेदक का स्वयं का नाम, माता-पिता/पति का नाम आदि की spelling वो ही लिखें जो Certificate/ Marksheet/ Identity Card आदि में है। इसमें किसी तरह की विसंगति पाये जाने पर आवेदक को disqualify कर दिया जायेगा।
- अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं को validate करने तथा अपनी सूचनाओं को save करने हेतु “Validate your Details” और “Save & Next” बटन पर click करें।

12. इसके उपरान्त आवेदक इस विज्ञापन में दी गई guidelines के अनुसार अपनी फोटो एवं हस्ताक्षर को scan करके upload करने के लिए आगे बढ़ें। इसके उपरान्त आवेदन पत्र में बाकी की सूचनाएं भरें।
13. आवेदन पत्र पूर्ण भरने के उपरान्त “Preview” टैब पर click कर अपने application form को देखें एवं सभी सूचनाओं को एक बार पुनः देख लें कि ठीक से भर दी गई है। पूरे आवेदन पत्र को verify करने के उपरान्त ही “Complete Registration” टैब पर click कर अपना आवेदन submit करें।
14. अगर किसी सूचना को बदलने की जरूरत है तो उसे “Complete Registration” टैब पर click करने से पहले ही कर लें। साथ में यह भी सुनिश्चित कर ले कि आपने अपने फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर दिये हैं तथा आप द्वारा भरी गई सभी सूचनाएँ सही हैं।
15. इसके उपरान्त “Payment” टैब पर click करें एवं आवेदन शुल्क (application fee) के भगतान हेतु आगे बढ़ें।
16. इसके उपरान्त “Submit” बटन पर click कर अपना आवेदन अंतिम रूप से submit करें।
17. प्रत्येक पद/खण्ड के लिये अभ्यर्थियों को अलग-अलग ऑनलाईन आवेदन भरना होगा एवं प्रत्येक आवेदन की अलग-अलग फीस जमा करनी होगी।
18. आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑन-लाईन आवेदन करें। गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर विश्वविद्यालय अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।
19. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रिमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा।
20. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र व परीक्षा शुल्क रसीद की हार्ड कॉपी का प्रिन्ट आवश्यक रूप से निकाल लेंगे।
21. विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन/हाथ से भरा हुआ आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2. फीस का भुगतान (Payment of Fees) Online Mode:-

1. आवेदन शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड (Rupay/ Visa/ Master Card/ Mastro), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, Cash Cards/ Mobile Wallets आदि के माध्यम से किया जा सकता है।
2. अपनी भुगतान (Payment) सूचना भरने के बाद Server से response हेतु इंतजार करें। इस दौरान दोगुना चार्ज से बचने हेतु “Back” या “Refresh” बटन को ना दबायें।
3. Successful transaction के उपरान्त इसकी ई-रसीद जारी की जायेगी।
4. अगर ई-रसीद जारी नहीं हो पाती है, इसका मतलब भुगतान असफल हो गया है। भुगतान के असफल होने के उपरान्त आवेदक अपने Provisional Registration Number एवं Password की सहायता से पुनः login करें एवं भुगतान की प्रक्रिया को दोहराये।
5. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपने भुगतान (Payment) की e-receipt एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र जिसमें आवेदन शुल्क भुगतान की सूचना हो, का Print भविष्य के लिए रख ले। ध्यान रखें कि यदि यह generate नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपका online transaction असफल रहा है।
6. अपने द्वारा भरी गई सूचना (Data) की सुरक्षा हेतु अपना transaction पूर्ण होने के उपरान्त Browser window को बंद कर दें।
7. आवेदन शुल्क का भुगतान करने के उपरान्त payment details सहित पूर्ण आवेदन पत्र का Print लेने की सुविधा उपलब्ध है।
8. प्रत्येक पद/खण्ड के लिये अभ्यर्थियों को अलग-अलग ऑनलाईन आवेदन भरना होगा एवं प्रत्येक आवेदन की अलग-अलग फीस जमा करनी होगी।
9. ऑनलाईन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाईन नम्बर 0291-3500607/9875776110 पर सम्पर्क करें। आवेदन की रसीद अभ्यर्थी को ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी। ऑनलाईन आवेदन के अलावा अन्य किसी भी रूप में आवेदन-पत्र वि.वि. द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
10. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें।
11. अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफण्ड नहीं किया जायेगा।
12. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अन्तिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transaction का लम्बित सत्यापन समय रहते हो सके अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
13. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रिमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा।

नोट:-

1. आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन पर अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्यवाही की जायेगी। आवेदक आवेदन पत्र का ध्यानपूर्वक भरें। एक बार आवेदक भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
2. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के उपरान्त रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें।
3. आवेदक यह ध्यान दें कि ऑनलाईन आवेदन के उपरान्त उन्हें आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (एप्लीकेशन आई.डी) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदक आवेदन प्रपत्र के preview को आवेदन submit न मानें।

4. कृपया ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति एवं अभ्यर्थियों के लिये आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देशों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लें। इस विज्ञप्ति एवं उक्त दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखकर ही ऑनलाईन आवेदन भरें।
5. आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. दर्ज करें तथा इसे नहीं बदलें। महत्वपूर्ण सूचनाएं आवेदन में दर्ज मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर ही भेजी जाती है। लव

विशेष नोट:-

1. **On Line Application Form** में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसमें दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदन पत्र रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों के लिए दिशा-निर्देश (Instructions for Applicants) विज्ञापन का ही भाग/हिस्सा माना जायेगा।
2. अभ्यर्थी आवेदन में आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित सभी शैक्षणिक योग्यता/अनुभव का विवरण स्पष्टतः एवं आवश्यक तौर पर अंकित करें। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् ऐसी योग्यता/अनुभव विचारणीय नहीं होगा, यदि आवेदन में अंकन नहीं है। केवल आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् अर्जित शैक्षणिक योग्यता/अनुभव ही बाद में विचारणीय होंगे।
3. आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर राजस्थान, एवं राजस्थान सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अधधीन परिवर्तनीय होगी।
4. इन भर्तियों से संबंधित समस्त पत्राचार विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.policeuniversity.ac.in एवं ई-मेल आईडी sfsdirect@policeuniversity.ac.in के माध्यम से किया जायेगा। कृपया इस भर्ती से संबंधित समस्त कार्यवाही के लिये विश्वविद्यालय की वेबसाईट को नियमित रूप से अवलोकन करते रहे।

3. परीक्षा शुल्क (Application Fee) :-

आवेदक अपनी श्रेणी (Category) के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर Payment Gateway पर जमा करवाये।

(क) सामान्य वर्ग (General) व क्रीमीलेयर (Creamy Layer) श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग(OBC)/अति पिछड़ा वर्ग (MBC) के आवेदक (applicant) हेतु - **रुपये 950/-**

(ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर (Non-Creamy Layer) श्रेणी के पिछड़ा वर्ग (OBC) / राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर (Non-Creamy Layer) श्रेणी के अति पिछड़ा वर्ग (MBC) व राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आवेदक हेतु - **रुपये 850/-**

(ग) समस्त विशेष योग्यजन (PWD) /राजस्थान के अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST) के आवेदक तथा राजस्थान के सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है, हेतु - **रुपये 750/-**

(घ) राजस्थान के टी.एस.पी क्षेत्र के अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जन जाति (ST) एवं बारां जिले की समस्त तहसीलों के सहरिया आदिम जाति के आवेदकों हेतु :- **रुपये 750/-**

नोट:-

1. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा।
2. राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आवेदक सामान्य वर्ग (General Category) के अन्तर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा।
3. कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.8(3) कार्मिक/क-2/18 दिनांक 02.05.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है, के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क रुपये 750/- देय है। उक्त परिपत्र के अनुसार राजस्थान राज्य के जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन के समय परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होने का विकल्प चुना गया है, उन अभ्यर्थियों को अपने परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। उक्त लाभ राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों को ही देय होगा। राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के आवेदकों को सामान्य वर्ग हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा।
4. फीस एक बार जमा होने पर वापस नहीं लौटाई जायेगी।
5. फीस जिस श्रेणी की जमा कराई जाती है, अभ्यर्थी को उसी श्रेणी का माना जायेगा। बाद में अभ्यर्थी को श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
6. **प्रवेश पत्र:-** विश्वविद्यालय द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.policeuniversity.ac.in के माध्यम से ही ऑनलाईन प्रवेश-पत्र जारी किये जाएंगे। विश्वविद्यालय द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा।

विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रवेश-पत्र जारी किये जाने की सूचना वेबसाईट के माध्यम से जारी की जाएगी। आवेदक अपना प्रवेश-पत्र वेबसाईट से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र क्रमांक, **Provisional Registration Number & Password** ध्यान में रखे। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश-पत्र सम्बन्धी सूचना आवेदक के ई-मेल आईडी (e-mail ID) एवं मोबाईल नम्बर (Mobile Number) पर भेजी जायेगी।

7. **वेतनमान:-** राज्य सरकार द्वारा देय सातवें वेतनमान के अनुसार वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद हेतु वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-12 (Grade Pay 4800/-) तथा कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद हेतु वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-10 (Grade Pay 3600/-) निर्धारित है।

अन्य शर्तें (Other Terms and Conditions) :-

1. सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परीक्षाधीन प्रशिक्षु (Probationar Trainee) को परीक्षा (Probation) की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक (Monthly Fixed Remuneration) ऐसी दरों पर संदत्त किया जायेगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जावे।
2. सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त सभी व्यक्तियों की नियुक्ति दो वर्ष की परीक्षा अवधि के लिये की जायेगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देया होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता (HRA), मंहगाई भत्ता (DA), शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता (CCA), विशेष वेतन (Special Allowance), आदि देय नहीं होंगे। परीक्षा अवधि में अन्य सुविधाएं एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में निहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगा। परीक्षा अवधि की समाप्ति पर पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे व स्थाईकरण का पात्र होगा।

4. **पेंशन:-** नये भर्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये राजस्थान सरकार के वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार पेंशन योजना लागू होगी।

5. परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधि:-

(क) परीक्षा शुल्क डेबिट कार्ड (Rupay/ Visa/ Master Card/ Mastro), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, Cash Cards/ Mobile Wallets के माध्यम से दिनांक 03.10.2022 मध्य रात्रि 12 बजे से 02.11.2022 को मध्य रात्रि 12 बजे तक जमा कराया जा सकता है।

(ख) ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 03.10.2022 मध्य रात्रि 12 बजे से 02.11.2022 को मध्य रात्रि 12 बजे तक विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर भरे जा सकते हैं (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा)। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करे।

6. परीक्षा का माह एवं दिनांक:-

वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक एवं कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के उक्त विभिन्न खण्डों के पदों की भर्ती परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा संभवतया माह दिसम्बर 2022/जनवरी 2023 में आवंटित परीक्षा केन्द्रों पर करवाई जायेगी। उक्त परीक्षा ऑनलाईन आयोजित करवाई जायेगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाईट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दे दी जायेगी। विश्वविद्यालय के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

7. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता (Eligibility and Minimum Educational Qualification):-

पद का नाम	न्यूनतम/अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता
वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (डीएनए) Sr. Scientific Assistant (DNA)	<p>भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से (प्राणीशास्त्र या आणविक जीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी या जैव रसायन या सूक्ष्म जीव विज्ञान या आनुवंशिकी मुख्य विषय के रूप में) प्राप्त एम.एस.सी डिग्री द्वितीय श्रेणी में।</p> <p>तथा</p> <p>कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन में सर्टिफिकेट/डिप्लोमा, या कम्प्यूटर विज्ञान/ कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन में से कम से कम एक विषय के साथ भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकृत संस्थान से प्राप्त डिग्री।</p> <p>अथवा</p> <p>'ओ' लेवल या उसके समकक्ष एनआईइएलआईटी (पूर्व डीओईएसीसी) नई दिल्ली से प्राप्त सर्टिफिकेट कोर्स</p> <p>अथवा</p> <p>सूचना प्रौद्योगिकी में राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स (आरएससीआईटी) महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा।</p> <p>M.Sc. degree with II division in Zoology or Molecular Biology or Biotechnology or Biochemistry or Microbiology or Genetics from a University established by law in India,</p> <p>and</p> <p>Certificate / Diploma in Computer Science/ Computer</p>

	<p>Application or Degree with at least one subject as Computer Science/ Computer Application from a University established by law in India or an institution recognized by the Government.</p> <p>or</p> <p>'O' level or higher level Certificate Course by NIELIT (erstwhile <i>DOEACC Society</i>), New Delhi.</p> <p>or</p> <p>Rajasthan State Certificate Course in Information Technology (RSCIT) conducted by Mahaveer Open University, Kota</p>
वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (साईबर) Sr. Scientific Assistant (Cyber)	<p>भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वितीय श्रेणी में कम्प्यूटर साईन्स अथवा कम्प्यूटर एप्लीकेशन विषय विषय में एम.टेक/एम.सी.ए./एम.ई./एम. एस.सी डिग्री।</p> <p>M.Tech / M.C.A. / M.E. / M.Sc. degree with II division in Computer Science or Computer Applications from a University established by law in India</p>
वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (पॉलीग्राफ) Sr. Scientific Assistant (Polygraph)	<p>(अ) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जिसमें मनोविज्ञान शास्त्र मुख्य विषय के रूप में हो,</p> <p>तथा</p> <p>(ब) कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन में सर्टिफिकेट/डिप्लोमा, या कम्प्यूटर विज्ञान/ कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन में से कम से कम एक विषय के साथ भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकृत संस्थान से प्राप्त डिग्री।</p> <p>अथवा</p> <p>'ओ' लेवल या इससे उच्च स्तर के एनआईएलआईटी (पूर्व डीआईएसीसी सोसाइटी), नई दिल्ली से प्राप्त सर्टिफिकेट कोर्स</p> <p>अथवा</p> <p>सूचना प्रौद्योगिकी में राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स (आरएससीआईटी) महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा संचालित।</p> <p>Master Degree with II division in Psychology from a University established by law in India,</p> <p>and</p> <p>Certificate / Diploma in Computer Science/ Computer Application or Degree with at least one subject as Computer Science/ Computer Application from a University established by law in India or an institution recognized by the Government.</p> <p>or</p> <p>'O' level or higher level Certificate Course by NIELIT (erstwhile <i>DOEACC Society</i>), New Delhi.</p> <p>or</p> <p>Rajasthan State Certificate Course in Information Technology (RSCIT) conducted by Mahaveer Open University, Kota.</p>
कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (प्रलेख) Jr. Scientific Assistant (Document)	<p>भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से भौतिकी व रसायन शास्त्र में बी.एस.सी डिग्री।</p> <p>B.Sc. degree in Physics and Chemistry from a university established by Law in India</p>
कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (रसायन) Jr. Scientific Assistant (Chemistry)	<p>भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से रसायनशास्त्र में बी.एस.सी डिग्री।</p> <p>B.Sc. degree in Chemistry from a university established by Law in India</p>
कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (भौतिक) Jr. Scientific Assistant (Physics)	<p>भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से भौतिकी/भौतिकी रसायन के साथ बी.एस.सी डिग्री।</p> <p>B.Sc. degree in Physics/Physical Chemistry from a University established by law in India.</p>
कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (पॉलीग्राफ) Jr. Scientific Assistant (Polygraph)	<p>(अ) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान, मुख्य विषय के रूप में स्नातक,</p> <p>तथा</p> <p>(ब) कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन में सर्टिफिकेट/डिप्लोमा, या कम्प्यूटर विज्ञान/ कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन में से कम से कम एक विषय के साथ भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या राज्य/केन्द्र सरकार</p>

	<p>द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकृत संस्थान से प्राप्त डिग्री। अथवा 'ओ' लेवल या इससे उच्च स्तर के एनआईइएलआईटी (पूर्व डीओईएसीसी सोसाइटी), नई दिल्ली से प्राप्त सर्टिफिकेट कोर्स अथवा सूचना प्रौद्योगिकी में राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स (आरएससीआईटी) महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा संचालित।</p> <p>A. Bachelor Degree in Psychology as a major subject from a University established by law in India, and B. Certificate / Diploma in Computer Science/ Computer Application or Degree with at least one subject as Computer Science/ Computer Application from a University established by law in India or an institution recognized by the Government. or 'O' level or higher level Certificate Course by NIELIT (erstwhile <i>DOEACC Society</i>), New Delhi. or Rajasthan State Certificate Course in Information Technology (RSCIT) conducted by Mahaveer Open University, Kota.</p>
कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (जैविक) Jr. Scientific Assistant (Biology)	<p>भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से वनस्पतिशास्त्र/ प्राणीशास्त्र/ जैवरसायन/ सूक्ष्मजैविकी में बी.एस.सी डिग्री। B.Sc. degree in Botany/Zoology/Bio-chemistry/ Microbiology from a university established by law in India</p>
कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (सीरम) Jr. Scientific Assistant (Serology)	<p>भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से वनस्पतिशास्त्र/ प्राणीशास्त्र/ जैवरसायन/ सूक्ष्मजैविकी में बी.एस.सी डिग्री। B.Sc. degree in Botany/Zoology/Bio-chemistry/ Microbiology from a university established by law in India</p>
कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (फोटो) Jr. Scientific Assistant (Photo)	<p>1. विज्ञान विषय में सीनियर सेकण्डरी 2. पाँच वर्ष का फोटोग्राफी में ख्याति प्राप्त संस्थान से कार्यानुभव 3. डिप्लोमा धारक को प्राथमिकता दी जाएगी</p> <p>1. Senior Secondary with Science 2. 5 Years experience in Photography in an institute of repute 3. Preference will be given to Diploma holders.</p>
कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (नारकोटिक्स) Jr. Scientific Assistant (Narcotics)	<p>भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से रसायनशास्त्र में बी.एस.सी डिग्री। B.Sc. degree in Chemistry from a university established by Law in India</p>
कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (डीएनए) Jr. Scientific Assistant (DNA)	<p>भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से (प्राणीशास्त्र या आणविक जीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी या जैव रसायन या सूक्ष्म जीव विज्ञान या आनुवंशिकी मुख्य विषय के रूप में) प्राप्त बी.एस.सी डिग्री। तथा कम्प्यूटर विज्ञान/ कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन में सर्टिफिकेट/ डिप्लोमा, या कम्प्यूटर विज्ञान/ कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन में से कम से कम एक विषय के साथ भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या राज्य/ केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकृत संस्थान से प्राप्त डिग्री। अथवा 'ओ' लेवल या उसके समकक्ष एनआईइएलआईटी (पूर्व डीओईएसीसी) नई दिल्ली से प्राप्त सर्टिफिकेट कोर्स अथवा सूचना प्रौद्योगिकी में राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स (आरएससीआईटी) महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा। B.Sc. degree with Zoology or Molecular Biology or Biotechnology or Biochemistry or Microbiology or Genetics as a major subject from a University established by law in India, and Certificate / Diploma in Computer Science/ Computer Application or Degree with at least one subject as Computer Science/ Computer Application from a University established by law in India or an institution</p>

	<p>recognized by the Government.</p> <p>or</p> <p>'O' level or higher level Certificate Course by NIELIT (erstwhile DOEACC Society), New Delhi.</p> <p>or</p> <p>Rajasthan State Certificate Course in Information Technology (RSCIT) conducted by Mahaveer Open University, Kota</p>
<p>कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (साईबर) Jr. Scientific Assistant (Cyber)</p>	<p>भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साईन्स अथवा कम्प्यूटर एप्लीकेशन में बी.टेक/बी.सी.ए./बी.ई. डिग्री। B. Tech / B.C.A. / B.E. degree in Computer Science or Computer Applications from a University established by law in India.</p>
<p>कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (विष) Jr. Scientific Assistant (Toxicology)</p>	<p>भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में बी.एस.सी डिग्री। B.Sc. degree in Chemistry from a university established by Law in India</p>

आवश्यक नोट:-

- परन्तु ऐसा व्यक्ति जो सीधी भर्ती हेतु नियमों या अनुसूचियों में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुका/चुकी है या उपस्थित हो रहा /रही है उस पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी किन्तु उसे विश्वविद्यालय को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने का प्रमाण पत्र लिखित परीक्षा की तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
नोट:- इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले है या सम्मिलित हो रहे है अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना जायेगा।
- देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

अन्य योग्यताएँ:-

- स्वास्थ्य :-** वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक और कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि अन्वेषक के रूप में उनके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके और यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिये अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है।
- चरित्र :-** सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि वह वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक और कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके। उसे सद्चरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, के प्राधान्याचार्य/शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त प्रस्तुत करना होगा और दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन-पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हों और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिये हुये नहीं हों।

8. वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक एवं कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक की सीधी भर्ती परीक्षा की स्कीम:-

वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक एवं कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पदों की भर्ती हेतु राजस्थान विधि विज्ञान अधीनस्थ सेवा नियम – 1980, 2015 एवं 2020 में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता (Education Qualification) एवं सिलेबस को दृष्टिगत रखते हुए विषयवार पृथक-पृथक आनलाईन परीक्षा आयोजित की जायेगी। अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर विश्वविद्यालय द्वारा उत्तरपत्रक/उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग/मोडरेशन/नॉर्मलाईजेशन (सामान्यीकरण) पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम के नियम 21 के अनुसार वि.वि. द्वारा उपयुक्त पाये गए अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति प्राधिकारी को अनुशंसित किए जायेंगे जो योग्यता (Merit) क्रम में व्यवस्थित होंगे।

नोट:-

- कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (Junior Scientific Assistant) जैविक (Biology) के 2 एवं सीरम (Serology) के 3 पदों हेतु एक ही प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जायेगा।
- कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (Junior Scientific Assistant) रसायन (Chemistry) के 1 पद, विष (Toxicology) के 7 पदों एवं नारकोटिक्स (Narcotics) के 1 पद हेतु एक ही प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जायेगा।
- बाकी सभी पदों/खण्ड के लिए अलग-अलग परीक्षा का आयोजन किया जायेगा।
- प्रत्येक प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। प्रश्न पत्र को हल करने का समय 2 घंटे होगा।

5. वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक एवं कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक की सीधी भर्ती परीक्षा की स्कीम निम्नानुसार है।

Sr. No.	Name of the Test	No. of Questions	Max. Marks	Version	Duration
1	Aptitude Test (Reasoning, Quantitative aptitude, GK)	30	90	Bilingual i.e. Both English and Hindi	40 Minutes
2	Professional Knowledge (Subject specific)	70	210		80 Minutes
	Total	100	300		120 Minutes

- सभी प्रश्न बहुविकल्पीय (Objective) प्रकार के होंगे तथा सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे।
- परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक (Minimum Qualifying Marks) 40 प्रतिशत निर्धारित है।
- प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 भाग (1 अंक) ऋणात्मक अंकन (Negative Marking) किया जायेगा।

9. **वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक एवं कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पदों हेतु परीक्षा का पाठ्यक्रम:-**

वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक एवं कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पदों हेतु परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.policeuniversity.ac.in पर अलग से उपलब्ध करवा दिया जायेगा।

10. **राष्ट्रीयता:-**

- (क) भारत का नागरिक हो, या
(ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या
(ग) भूटान का प्रजाजन हो, या
(घ) ऐसा तिब्बती सरणार्थी जो दिनांक 1.1.1962 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आया था, या
(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टंगानिया तथा जंजीबार), जाम्बिया, मालवी, जैर और इथोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो।
परन्तु शर्त यह है कि वर्ग (ख),(ग),(घ) और (ङ) प्रवर्गों का कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके हक में भारत सरकार ने पात्रता प्रमाण-पत्र दे दिया हो।
ऐसे अभ्यर्थियों के जिनके मामलों में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक है, विश्वविद्यालय या अन्य किसी भर्ती प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी परीक्षा में बैठने दिया जा सकेगा या साक्षात्कार के लिये बुलाया जा सकेगा तथा उसे भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र दिये जाने के अध्यक्षीन अनन्तिम तौर पर नियुक्त भी किया जा सकेगा।
- अन्य देशों से भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आये व्यक्तियों की पात्रता की शर्त:- इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी सेवा में भर्ती की पात्रता हेतु राष्ट्रीयता, आयु सीमा, फीस तथा अन्य रियायतों संबंधी उपबन्ध, ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से अन्य देशों से भारत में आये हों, ऐसे आदेशों या अनुदेशों द्वारा विनियमित होंगे जो सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जायें और ऐसे आदेशों या अनुदेशों को भारत सरकार द्वारा इस विषय में जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार यथावश्यक परिवर्तनों सहित विनियमित किया जायेगा।

11. **आयु:- आवेदक की आयु 1 जनवरी, 2023 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए।**

A candidate must have attained the age of 18 year and must not have attained the age of 40 years on 01.01.2023.

परन्तु "जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिये भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जावेगा, किन्तु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जावेगी।" (vide DOP Notification : F7(6)DOP/A-II/2008 dated 23.09.2008)

If a candidate would have been entitled in respect of his/her age for direct recruitment in any year in which no such recruitment was held, he/she shall be deemed to be eligible in the next following recruitment, if he/she is not overage by more than 3 years vide DOP Notification: F7(6)DOP/A-II/2008 dated 23.09.2008.

As per the DOP, Rajasthan Notification No. F.7(2)DOP/A-II/84 Pt. dated 23.09.2022, the person who was within the age limit as on 31.12.2022, shall be deemed to be within the age limit upto 31.12.2024.

Note: चूकि वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (पोलीग्राफ/डी.एन.ए/साईबर) एवं कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (पोलीग्राफ/डी.एन.ए/साईबर) के पदों पर पहली बार सीधी भर्ती हो रही है अतः कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना F7(6)DOP/A-II/2008 दिनांक 23.09.2008 में विहित प्रावधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में इन पदों पर कोई अतिरिक्त छूट देय नहीं होगी।

Since the posts of Sr. Scientific Assistant (Polygraph/DNA/Cyber) and Jr. Scientific Assistant (Polygraph/DNA/Cyber) are being advertised for the first time for direct recruitment, No

additional relaxation will be given to candidates for these posts as per DOP, Government of Rajasthan notification F7(6)DOP/A-II/2008 dated 23.09.2008.

उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार देय होगी:-

आयु सीमा में छूट के प्रावधान:-

1. सामान्य वर्ग (General Category) की महिला अभ्यर्थियों (Female candidates) के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
5 years relaxation in upper age limit in the case of woman candidates belonging to General category;
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
5 years relaxation in upper age limit in the case of male candidates belonging to the Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), Backward Classes (OBC), More Backward Classes (MBC) and Economically Weaker Sections (EWS) of Rajasthan State.
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की मूल निवासी हैं, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।
10 years relaxation in upper age limit in the case of women candidates belonging to Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), Backward Classes (OBC), More Backward Classes (MBC) and Economically Weaker Sections (EWS) of Rajasthan State.
4. विधवाओं (Widow) और विच्छिन्न विवाह महिलाओं (Divorcee) के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी किन्तु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम होनी चाहिये।
that there shall be no age limit in the case of widows and divorcee women but that should be less than the age of retirement age which is 60 years at present.
स्पष्टीकरण:- विधवा महिला (Widow) के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र (Death certificate of husband) प्रस्तुत करना होगा तथा विच्छिन्न विवाह महिला (Divorcee) के मामले में उसे विच्छिन्न विवाह (Divorce) का साक्ष्य (proof) प्रस्तुत करना होगा।
Explanation :- In the case of widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorcee, she will have to furnish proof of divorce.
5. अधिकतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जिसने सजा मिलने से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर संस्थाई आधार (Substantive) पर सेवा की हो और जो सजा पाने से पूर्व नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।
That the upper age-limit mentioned above shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under the Government on a substantive basis on any post before his conviction and was eligible for appointment under these rules.
6. अधिकतम आयु की सीमा में किसी ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में उसके द्वारा भोगी गई सजा की अवधि के बराबर काल तक की ढील दी जाएगी, जो कि सजा मिलने से पहले अधिक आयु का नहीं हुआ था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए योग्य था।
that the upper age-limit mentioned above shall be relaxable by a period equal to the term of imprisonment served in the case of an ex-prisoner who was not overage before his conviction and was eligible for appointment under these rules.
7. एन.सी.सी. के कैडेट प्रशिक्षकों (Cadet Instructors) को उनकी वास्तविक आयु में से उतना समय घटाने की अनुमति दी जायेगी जितना समय उन्होंने एन.सी.सी. की सेवा में बिताया है यदि उसके परिणाम स्वरूप उनकी आयु उपर्युक्त निर्धारित अधिकतम अवधि 3 वर्ष से ज्यादा नहीं हुई हो।
The upper age-limit shall be relaxed by a period equal to the service rendered in the N.C.C. in the case of Cadet Instructors and if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age-limit by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age-limit.
8. इस सेवा के किसी पद के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त किए गए व्यक्तियों को आयु सीमा के भीतर माना जाएगा यदि वे आयु सीमा के भीतर थे, जब वे शुरू में नियुक्त किए गये थे, भले ही वे आयु सीमा पार कर चुके हो जब वे चयन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हों, और दो अवसरों तक ही अनुमति दी जावेगी, जैसे वे अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के समय पात्र थे।
The person appointed temporarily to a post in the service shall be deemed to be within the age-limit had they been within the age limit when they were initially appointed even though they have crossed the age-limit when they appear finally before the University or the Appointing authority as the case may be and shall be allowed upto two chances had they been eligible as such at the time of their initial appointment

9. सेना में मुक्त होने के बाद जारी किए गए आपातकालीन कमीशन अधिकारी और शॉर्ट सर्विस कमीशन के अधिकारियों के व्यक्तियों के मामलों में निर्धारित आयु सीमा में माना जायेगा भले ही वे निर्धारित आयु सीमा को प्राप्त कर चुके हो जब वे चयन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हो।

The Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after released from the Army shall be deemed to be within the age limit even though they have crossed the age limit when they appear before the University had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.

10. रिजर्विस्टों अर्थात् रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों और भूतपूर्व सेना कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी। परन्तु क्रास/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 02 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिये आयु में रियायत के प्रावधान कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(18) कार्मिक/क-2/84 पार्ट / 11 दिनांक 17.04.2016 एवं दिनांक 22.12.2020 के अनुसार भी लागू होंगे।

The upper age limit for the reservist namely the defence personnel transferred to the reserve and the Ex-service personnel shall be 50 years.

11. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधित) नियम 2018 में किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में दिव्यांगजनों को 05 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

According to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 05 years for persons with benchmark disabilities.

नोट:-

1. उपरोक्त बिन्दु 11 की क्र.सं. 1 से 11 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त क्र.सं. 1 से 11 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
2. विशेषयोग्यजन को ऊपरी आयु सीमा में देय छूट के उपर्युक्त बिन्दु संख्या 01 से 10 तक के अनुसार छूट दिये जाने के पश्चात् बिन्दु संख्या 11 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार अतिरिक्त छूट देय होगी।
3. उक्त पद विभाग द्वारा पूर्व में वर्ष 2019 में विज्ञापित किये गये थे। तत्पश्चात् उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2023 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 में विहित प्रावधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में अतिरिक्त छूट देय होगी। **चूकि वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (पोलीग्राफ/डी.एन.ए/साईबर) एवं कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (पोलीग्राफ/डी.एन.ए/साईबर) के पदों पर पहली बार सीधी भर्ती हो रही है अतः कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 में विहित प्रावधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में इन पदों पर कोई अतिरिक्त छूट देय नहीं होगी।**
4. संस्थाई कर्मचारी को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट तभी दी जावेगी यदि वह कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम दिनांक तक संस्थाई कर्मचारी की श्रेणी में हो। आवेदक के अधिकायु का होने पर उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा।
5. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे- आयुसीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे सामान्य (अनारक्षित) रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।
6. राज्य सरकार, पंचायत समिति तथा जिला परिषदों और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठायी हैसियत से सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
7. आयु संबंधी छूट की अधिक जानकारी के लिये राजस्थान विधि विज्ञान अधिनस्थ सेवा नियम-1980, 2015, 2020 एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधन, निर्देश, परिपत्र एवं अधिसूचना का अध्ययन करें।
8. अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये हैं। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य होंगे।

नोट:-

1. कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (Junior Scientific Assistant) जैविक (Biology) के 2 एवं सीरम (Serology) के 3 पदों हेतु एक ही प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। इसलिए अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में अपनी प्राथमिकता क्रम का अंकन अनिवार्य रूप से करें। इन पदों के लिये अभ्यर्थियों को एक ही ऑनलाईन आवेदन भरना होगा एवं आवेदन की एक ही फीस जमा करनी होगी। प्राथमिकता एवं मेरिट के आधार अभ्यर्थी का इस वर्ग के किसी एक ही खण्ड (division) में चयन किया जायेगा एवं इस वर्ग के अन्य खण्डों में उसका चयन नहीं किया जायेगा एवं अन्य खण्डों में उसकी मेरिट स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार के आवेदन पर पुनः विचार नहीं किया जाएगा।
2. कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (Junior Scientific Assistant) रसायन (Chemistry) के 1 पद, विष (Toxicology) के 7 पदों एवं नारकोटिक्स (Narcotics) के 1 पद हेतु एक ही प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। इसलिए अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में अपनी प्राथमिकता क्रम का अंकन अनिवार्य रूप से करें। इन पदों के लिये अभ्यर्थियों को एक ही ऑनलाईन आवेदन भरना होगा एवं आवेदन की एक ही फीस जमा करनी होगी। प्राथमिकता एवं मेरिट के आधार अभ्यर्थी का इस वर्ग के किसी एक ही खण्ड (division) में चयन किया जायेगा एवं इस वर्ग के अन्य खण्डों में उसका चयन नहीं किया जायेगा एवं अन्य खण्डों में उसकी मेरिट स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार के आवेदन पर पुनः विचार नहीं किया जाएगा।
3. बाकी सभी पदों/खण्ड के लिये अभ्यर्थियों को अलग-अलग ऑनलाईन आवेदन भरना होगा एवं प्रत्येक आवेदन की अलग-अलग फीस जमा करनी होगी। बाकी सभी पदों/खण्ड के लिए अलग-अलग परीक्षा का आयोजन किया जायेगा।
4. गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे।
5. महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों एवं विशेष योग्यजनों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) होगा।
6. विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढोतरी की जा सकती है एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों के संबंध में राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
7. अगर किसी अभ्यर्थी का एक से अधिक खण्ड (division) की मेरिट में चयन होता है तो उसको विश्वविद्यालय की तरफ से ई-मेल भेज कर किसी एक खण्ड (division) के बारे में अपनी प्राथमिकता से अवगत कराने के लिए पूछा जायेगा। अभ्यर्थी को दस दिवस के भीतर किसी एक खण्ड (division) के बारे में अपनी प्राथमिकता से ई-मेल आईडी sfsirect@policeuniversity.ac.in पर सूचित करना होगा। एक बार किसी एक खण्ड (division) के बारे में अपनी प्राथमिकता भेजने के बाद अभ्यर्थी का उसी खण्ड (division) में चयन किया जायेगा एवं अन्य सभी खण्डों में उसकी मेरिट स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार के आवेदन पर पुनः विचार नहीं किया जाएगा।

विशेष सूचना:-

1. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्तवर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रणीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रणीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी।
परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा।
परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और सेक्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियां या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिये ऐसी रिक्ति पश्चात्तवर्ती वर्षों में उपलब्ध हों।
2. राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
3. महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Categorywise) 30 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक है, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण:- किसी वर्ग (अनारक्षित पद(सामान्य वर्ग)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा।
विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
4. महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विवाह विच्छिन्न महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो विधवा के लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परित्यक्ता (विवाह-विच्छिन्न महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। यदि विधवा एवं परित्यक्ता दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा। पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित है। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेगी। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विच्छिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। विधवा और विच्छिन्न महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण (Horizontal) माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिला को भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।
5. अति पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(2)/डीओपी/ए-11/2017 दिनांक 21.12.2017 एवं एफ. 2(12)/विधि/2/2019/ दिनांक 13.02.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग की जातियों (नॉन क्रीमीलेयर) को 05 प्रतिशत आरक्षण देय है।
6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7 (1) कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 19.02.2019 एवं 20.10. 2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।

7. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे- आयुसीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे सामान्य (अनारक्षित) रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।
8. राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आवेदक को सामान्य वर्ग (General Category)का माना जावेगा।
9. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में जहां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण खाली रह जाती है तो उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यंगत हो जायेगी।
10. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
11. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य/अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा CA No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा DBSAW No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18. 09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर (अन्य राज्य) की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे Public employment में एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य (अनारक्षित) वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
12. कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.5(18)कार्मिक/क-2/84 पार्ट 4 दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभ, राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही देय होगा।
13. **भूतपूर्व सैनिकों हेतु:-**
(क) भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।
(ख) भूतपूर्व सैनिक:-
(1) प्रतिरक्षा (थल, जल, वायु सेना) सेवाओं से सेवामुक्ति के समय आवेदक का चरित्र "अच्छा" से कम नहीं होना चाहिये जैसा कि उसकी सेवामुक्ति में दर्शाया गया हो।
(2) प्रतिरक्षा सेवा से सेवामुक्ति के पश्चात् किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे नियोजन के लिये अर्हक बना दें।

भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के प्राधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5 प्रतिशत पद आरक्षित है। भूतपूर्व सैनिकों के पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जा सकेगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिये कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(18) कार्मिक/क-2/84 पार्ट-11 दिनांक 17.04.2018 एवं 22. 12.2020 के अनुसार प्रावधान भी लागू होंगे। कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(18) डीओपी/ए-11/84 पार्ट दिनांक 01. 08.2021 के अनुसार "भूतपूर्व सैनिक" के संदर्भ में व्यक्ति जो राज्य में बसे हुए है, से व्यक्ति जो राजस्थान का मूल निवासी है, अभिप्रेत है। उक्त अधिसूचना के अनुसार राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग का लाभ दिया जायेगा।

"कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी से समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा।

"यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक/कुल अंक, जहां कहीं भी निहित किये गये हों, जो पांच प्रतिशत या भूतपूर्व सैनिक की अनुपलब्धता की दशा में और पांच प्रतिशत अथवा सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित, जो भी उच्चतम हो, का शिथिलीकरण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जायेगा।"

यदि किसी कारणवश भूतपूर्व सैनिक कार्यग्रहण नहीं करता है तो ऐसी स्थिति को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जावेगा और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यंगत (Lapse) हो जायेगी।

14. **उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु:-** उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.5(31)DOP/A-II/84 दिनांक 15.03.2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2 प्रतिशत देय होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा और ऐसी रिक्ति पश्चात्तर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जाएगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में केवल वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.5(31)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 21.11.2019 में नीचे वर्णित योग्यता रखता हो। इनसे भिन्न योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी का उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये आरक्षित पदों पर चयन पर विचार नहीं किया जायेगा।
15. **उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्बन्धी प्रावधान:-** कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार "उत्कृष्ट खिलाड़ी" से ऐसे खिलाड़ी अभिप्रेत है जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी है और जिन्होंने:-

1. उक्त सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 3 में उल्लिखित खेलकूद के किसी अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैंपियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम कस प्रतिनिधित्व किया हो;

क्र.सं.	अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था	टूर्नामेंट/चैंपियनशिप का नाम
(1)	(2)	(3)
1	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई.ओ.सी.)	ओलम्पिक गेम्स (ग्रीष्मकालीन)
2	एशिया ओलम्पिक परिषद (ओ.सी.ए.)	एशियन गेम्स
3	दक्षिण एशियन ओलम्पिक परिषद (एस.ए.ओ.सी.)	दक्षिण एशियन गेम्स; जो सामान्यतः सैफ गेम्स के रूप में जाने जाते हैं।
4	राष्ट्रमण्डल खेल परिसंघ (सी.जी.एफ.)	राष्ट्रीयमण्डल गेम्स
5	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ	विश्व कप/विश्व चैंपियनशिप
6	एशिया ओलम्पिक परिषद से संबद्ध एशियन खेल परिसंघ	एशियन चैंपियनशिप
7	अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ (आई.एस.एस.एफ.)	अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल गेम्स/चैंपियनशिप
8	एशियन स्कूल खेल परिसंघ (ए.एस.एस.एफ.)	एशियन स्कूल गेम्स/चैंपियनशिप

2. स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

3. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या इससे संबंधित नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एन.एस.एफ.) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के कोई राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैंपियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

या

4. एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

5. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन/पैरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इण्डिया या इससे संबंधित नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल चैंपियनशिप/पैरा नेशनल चैंपियनशिप या नेशनल गेम्स/नेशनल पैरा गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।”

नोट:- कृपया उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जिनके पास उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार खेल प्रमाण पत्र हो। यदि किसी आवेदक ने जान-बूझकर बिना योग्य खेल प्रमाण-पत्र उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी अंकित की है, तो विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है। उत्कृष्ट खिलाड़ी को खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।

16. **दिव्यांगजन (निःशक्तजन) के लिये:-**

- राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अन्तर्गत निम्न लिखित श्रेणी के दिव्यांगजन को ही आरक्षण का लाभ देय है:-
 - B/L V (Blindness/ Low Vision)
 - HI (Hearing Impairment)
 - LD/CP (Locomotor Disability) including Cerebral Palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid attack victims & Muscular Dystrophy
 - Autism, Intellectual Disability, Specific Learning Disability & Mental Illness
 - Multiple Disabilities from amongst persons under clauses (i) to (iv) including deaf- blindness in the posts indentified for each disabilities
- दिव्यांगजन के लिये दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।
- राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति, उपयुक्त बैचमार्क दिव्यांगजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जाएगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैचमार्क दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः दिव्यांगजन की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange)कर भरा जाएगा। यदि उस वर्ष में भी कोई दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को दिव्यांगजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
- दिव्यांगजन आवेदक में यथास्थान अपने वर्ग एवं दिव्यांगजन की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें। दिव्यांगजन प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।
- ऐसे आवेदक जो दिव्यांगजन की श्रेणी में आते हैं, अपनी दिव्यांगजन के सम्बन्ध में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थाई विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र (Permanent Disability Certificate) में दिव्यांगजन का स्पष्ट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तता व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्यजन होने पर ही अभ्यर्थी को दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।
- राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधित) नियम-2021 दिनांक 14.10.2021 के नियम 6(B) में किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में "यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक, जहां कहीं भी निहित किये गये हों, तो पांच प्रतिशत का शिथिलीकरण दिव्यांगजन को दिया जायेगा।”

13. **विवाह पंजीयन:-**

शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।

14. अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में:-

सभी आवेदक जो पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी उपक्रमों में नियुक्त हैं, उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिए आवेदन करने से पूर्व ही लिखित में सूचित करते हुये आवेदन करना चाहिए।

15. नियुक्ति की अयोग्यताएँ :-

(1) किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।

(2) किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।

(3) कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए मात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

(4) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरहित नहीं समझा जावेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती,

परन्तु यह और कि जहां किसी आवेदक के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहाँ बच्चों की कुल, संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।

परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।

(5) कोई भी उम्मीदवार जिसे राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालिक सेवा चयन बोर्ड तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग ने छद्मकारिता (अपने आप को अन्य व्यक्ति होना बताना) करने, या काट-छाट किए हुए जाली दस्तावेज पेश करने या गलत बयान देने या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने या परीक्षा में अनुचित तरीके काम में लेने या लेने का प्रयत्न करने, या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित तरीके अपनाने का दोषी घोषित किया हो, वह अपने आप को फौजदारी मुकदमों का उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए, स्थाई रूप से या विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक के लिए बहिष्कृत (Debarred) कर दिया जायेगा।

16. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश:-

फोटो अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश-

1. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
2. आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो (अधिकतम छः माह पुराना) अपलोड करनी चाहिए। मोबाईल व अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नहीं करें।
3. फोटो की पृष्ठभूमि (Background) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए।
4. फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह घेरना चाहिए।
5. फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक और टोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
6. यदि आप चश्मा पहनते हैं, तो फोटो खिचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं लेकिन चश्में पर चमक (Flash) नहीं होनी चाहिए।
7. आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए।
8. धार्मिक चिन्ह सिर पर पहना जा सकता है परन्तु वो आपका चेहरा नहीं ढकना चाहिए।
9. फोटो जेपीईजी (JPEG/ JPG) प्रारूप में होना चाहिए एवं इसकी साईज 4.5 cm x 3.5 cm (width x height) होने चाहिए।
10. फोटो जेपीईजी (JPEG) के Pixel 200 x 230 (preferred) होना चाहिए।
11. फाईल का आकार 20 के.बी. से 50 के.बी. तक होना चाहिए।
12. स्कैन की गई फोटो का आकार 50 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
13. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए अन्यथा उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया जा सकता है।

हस्ताक्षर (Signature) अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश:-

1. आवेदक एक सफेद कागज (A4 size) पर काले स्याही (Black Ink) के पेन से हस्ताक्षर करें।
2. हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा।
3. हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को स्कैन करवाकर क्रॉप करने के पश्चात् अपलोड करें।
4. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर किये गये आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।
5. केवल जेपीईजी (JPEG) प्रारूप को स्वीकार किया जाएगा।
6. जेपीईजी (JPEG) के लिए Pixel 140 x 60 (preferred) होना चाहिए।

7. फाईल का आकार 10 के.बी. से 20 के.बी. तक होना चाहिए।
8. हस्ताक्षर का आकार 20 के.बी से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
9. मोबाईल फोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जायेगा।
10. CAPITAL LETTERS में किये गये हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

17. **अंगूठे का निशान (Thumb Impression):-**

1. अभ्यर्थी अपने बांये हाथ (left hand) के अंगूठे (thumb) का निशान एक सफेद कागज पर काली या नीली स्याही से लगाये।
2. उसके बाद उसको scan कर अपलोड करें।
3. फाईल JPG/ JPEG प्रारूप (format) में होनी चाहिए।
4. फाईल के Pixel 240 x 240 (preferred) होना चाहिए जिसका DPI 200 हो (3 cm x 3 cm Width x Height)
5. फाईल का आकार 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए।

18. **डिक्लरेशन (Declaration)**

1. अभ्यर्थी को काली स्याही (Black Ink) में अपना हस्तलिखित declaration निम्नानुसार सफेद पेज पर लिख कर scan करना है।
“I, _____ (Name of the Candidate), hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required.”
2. डिक्लरेशन की फाईल JPG/ JPEG format में होनी चाहिए।
3. उक्त scan की हुई फाईल के dimension 800 x 400 Pixel (preferred) in 200 DPI (10 cm width x 5 cm Height) होनी चाहिए।
4. उक्त File का आकार 50 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए।

विशेष निर्देश:-

1. हस्ताक्षर, बांये हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित declaration आवेदक का स्वयं का होना चाहिए एवं अन्य किसी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए।
2. यदि आवेदक के हस्ताक्षर जो Attendance Sheet या Call Letter पर परीक्षा के दौरान किये गये हैं, Online आवेदन में अपलोड किये गये हस्ताक्षर से मिलान नहीं होता है तो आवेदक को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
3. हस्तलिखित declaration एवं हस्ताक्षर CAPITAL अक्षरों में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

विशेष टिप्पणी:-

1. कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आए। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए नीली स्याही का पारदर्शी बालपेन, 2.5 x 2.5 से.मी. का एक फोटो , एक फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र, प्रवेश पत्र ही कक्ष में ले जा सकते हैं तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय, जोधपुर की नहीं होगी।
2. जिस परिसर के भीतर परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहा मोबाइल फोन, पेजर्स, ब्लूटूथ या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित परीक्षार्थी / आवेदक के खिलाफ के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) अधिनियम, 2022 के अन्तर्गत एवं राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है जिसमें आवेदक की परीक्षा निरस्त किया जाना भी सम्मिलित है।
3. सभी परीक्षार्थियों के लिये नियमानुसार ड्रेस कोड लागू होगा। विस्तृत विवरण वि.वि. की वेबसाईट www.policeuniversity.ac.in पर उपलब्ध है।
4. परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र पर उल्लेखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

19. **श्रुत लेखन (Scribe) की सुविधा:-**

केवल राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 में वर्णित ऐसे विशेष योग्यजन (नेत्रहीन(Blind) सूर्यमुखी एवं अल्प दृष्टि न्यूनतम 40 प्रतिशत दृष्टि निःशक्तता) या शारीरिक रूप से निःशक्त (जो बांह कटे होने या उंगलियों नहीं होने के कारण लिखने में असमर्थ हैं, को परीक्षा में श्रुतलेखन उपलब्ध कराये जायेंगे, परन्तु अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी। श्रुतलेखन उपलब्ध कराने हेतु ऐसे परीक्षार्थी प्रवेश पत्र प्राप्त होते ही वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित विश्वविद्यालय को सूचित करें एवं परीक्षा प्रारम्भ होने के कम से कम तीन दिन पूर्व आवंटित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित श्रुतलेखन की व्यवस्था हेतु अनुरोध करें और प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित एक प्रतिकेन्द्राधीक्षक को भी दी जायेगी।

20. **प्रमाण-पत्रों का सत्यापन:-**

आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/ टी.एस.पी. /विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य) का लाभ तब ही देय होगा जबकि परीक्षा/मुख्य परीक्षा/संवीक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जाँच कर ली गई हो तथा दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः पात्रता की जाँच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जावे :-

1. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 20.01.2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण-पत्र ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा।
2. पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है। पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
3. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form में सामान्य वर्ग के आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए तथा टी. एस.पी. क्षेत्र का प्रमाण-पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार अधिसूचना के पश्चात् जारी किया हुआ होना चाहिए।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी Income & Assets Certificate प्रस्तुत करना होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को जारी किये जाने वाले Income & Asset Certificate की वैधता के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ11()/आ.क. व/डीडीवीसी/सान्याअवि/19/28046 दिनांक 06.05.2022 के द्वारा यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि राज्य के लिए जारी Income & Asset Certificate एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार उक्त Income & Asset Certificate जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न शपथ-पत्र के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को ही मान लिया जावेगा, ऐसा अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है।
7. शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता/अनुभव परीक्षा दिनांक तक अर्जित होना आवश्यक है तथा शेष सभी प्रमाण पत्र जैसे-श्रेणी/वर्ग/जाति/टी.एस.पी. श्रेणी (सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र), आयु (आयु की गणना हेतु सैकण्डरी परीक्षा प्रमाण-पत्र), उत्कृष्ट खिलाड़ी, विकलांगता (सम्पूर्ण भारत वर्ष के किसी भी राज्य के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण-पत्र जिसमें निःशक्तता की श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख हो), राज्य कर्मचारी, गैर राजपत्रित कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी, विभागीय कर्मचारी इत्यादि नियमानुसार जारी होना आवश्यक है। **विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं पति के नाम से लिंक प्रमाण पत्र (यथा - राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) तथा परित्यक्ता/तलाकशुदा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास माननीय न्यायालय द्वारा पारित तलाक सम्बन्धी डिक्री या विधिक प्रावधान के अनुसार तलाक का साक्ष्य ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक होना आवश्यक है।**
8. **भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रावधान -** कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाण पत्र (N.O.C) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। **कार्मिक (क-4/2) विभाग के पत्र दिनांक 19.07.2021 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने के पश्चात् सेवानिवृत्ति के प्रमाण का प्रस्तुतिकरण के लिए 01 वर्ष की अवधि की गणना आवेदन पत्र की अंतिम तिथि से की जायेगी।** साथ ही यदि किसी भूतपूर्व सैनिक ने आरक्षण का लाभ लेने के पश्चात् राजस्थान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार सेवा ग्रहण कर ली है तो राजस्थान सरकार के अधीन पुनर्नियोजन के प्रयोजन के लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की प्रास्थिति समाप्त हो जायेगी। राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन ग्रहण करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को एक सिविल कर्मचारी माना जायेगा। परन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां किसी भी पद के लिए, किसी निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है, भूतपूर्व सैनिक को केवल इस कारण से कि वह, सरकारी सेवा में किसी निम्नतर पद, जिसका अनुभव उच्चतर पद पर सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित है, पर नियोजित है, भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को 5 ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारंभिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिनके लिए उसने आवेदन किया है, के लिए आवेदन की तारीख-वार ब्योरों के बारे में कोई स्वतः घोषणा पत्र/वचनबंध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और भी कि भूतपूर्व सैनिक जिस राजस्थान सरकार के अधीन नैमित्तक/सविदा/अस्थायी/तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। **“कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवाएं (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभ, राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही देय है।”**

9. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी विवाह प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा।
10. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे/संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चों/सन्तानों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों/सन्तानों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा/सन्तान है, किन्तु किसी एक पश्चात्पूर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे/सन्तान पैदा होते हैं, वहाँ बच्चों/सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उपनियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। तत्सम्बन्धी शपथ-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा।
11. आवेदक को विज्ञापन में उल्लेखानुसार आवश्यक वांछित शैक्षणिक योग्यता व अनुभव प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
12. विधवा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या विधवा/परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. आवेदक को अन्तिम शैक्षणिक संस्था का चरित्र प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के सम्बन्ध में कम से कम "अच्छा" का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा।
14. आवेदक को चयन उपरान्त आचरण सम्बन्धी पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा।
15. आवेदक को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जाँच सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णरूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है।
16. आवेदक जो पहले से ही सरकारी सेवा यथा/जैसे केन्द्रीय/राज्य/सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है एवं उनका चयन उक्त पदों हेतु भर्ती में हो गया है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
17. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में संबंधित सेवा नियम के अनुसार विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।
18. अभ्यर्थी को पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन के समय शैक्षणिक योग्यता, आयु, वैवाहिक स्थिति, विधवा, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विशेष योग्यजन, मूल निवास, विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र एवं अन्य आवश्यक समस्त दस्तावेजों की प्रति विस्तृत आवेदन के साथ संलग्न करने होंगे। अभ्यर्थी को पात्रता की जांच के समय मूल दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे।

21. आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम:-

आवेदकों को अपने ऑनलाईन आवेदन में समस्त सूचना सही-सही अंकित करनी चाहिए और परीक्षार्थियों को केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना चाहिए, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध वि.वि./केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) अधिनियम, 2022 के अन्तर्गत एवं राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ निर्धारित दण्ड एवं कारणों की विस्तृत सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दी गई है।

अति महत्वपूर्ण बिन्दु/नोट :-

1. अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. अंकित करें जिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS & E-Mail के माध्यम से चाहता है। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
2. राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर)/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।
3. आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विश्वविद्यालय के विज्ञापन एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरकर निर्देशों के साथ-साथ, संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें।
4. अभ्यर्थी यथासम्भव मोबाइल नम्बर एवं पत्र व्यवहार के पते में परिवर्तन नहीं करें, यदि परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो इसकी सूचना विश्वविद्यालय को शीघ्र भेजें।

5. आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र ध्यानपूर्वक भरें। आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र अन्तिम रूप से भरने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आशवस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर विश्वविद्यालय द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी।
6. अभ्यर्थी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना अपना ऑनलाईन आवेदन करें, अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होकर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
7. आवेदक द्वारा स्वयं/ई-मित्र/अन्य किसी स्रोत से ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरते/भरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/भूलवश त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक सर्वप्रथम ऑनलाईन आवेदन-पत्र के Preview में अपनी जाति/वर्ग/श्रेणी, आयु (जन्म दिनांक), योग्यता इत्यादि संबंधी त्रुटियों की जाँच आवश्यक रूप से करने के पश्चात् ही उन्हें सुधारते हुए ऑनलाईन आवेदन-पत्र को Submit करें और उसका प्रिन्ट ले लें। इसके पश्चात् किसी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व स्वयं अभ्यर्थी का ही होगा। साथ ही आवेदक को यह भी हिदायत दी जाती है कि आवेदक अगर ई-मित्र अथवा अन्य स्रोत से आवेदन करवाता है, तो आवेदक स्वयं ई-मित्र अथवा अन्य स्रोत पर जाकर आवेदन करवायें। ई-मित्र अथवा अन्य स्रोत के भरोसे न छोड़े कि उनके द्वारा आपका ऑनलाईन आवेदन-पत्र सही-सही भर दिया होगा/जायेगा। किसी भी प्रकार की गलत सूचना भरे जाने पर विश्वविद्यालय/विभाग अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।
8. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारों का परित्याग मानते हुये उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन-पत्र विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/टी.एस.पी./विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य वर्ग के अभ्यर्थी Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात् वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होकर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में जो श्रेणी/वर्ग भरी/भरा है, उसी श्रेणी/वर्ग में ही मानकर कार्यवाही की जाएगी एवं अभ्यर्थी/आवेदक द्वारा जिस श्रेणी/वर्ग में ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा है उस संबंधित वर्ग/श्रेणी से संबंधित प्रमाण-पत्र/दस्तावेज यथा समय प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक/अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन-पत्र निरस्त/रद्द/पात्रता रद्द कर दी जायेगी/जायेगा।
9. विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी इत्यादि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
10. आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र, आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक विश्वविद्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को विश्वविद्यालय द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से संबंधित भर्ती परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि विश्वविद्यालय द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लेखित प्रविष्टियाँ विश्वविद्यालय द्वारा सही मान ली गई हैं। विश्वविद्यालय/विभाग द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच अलग से की जायेगी। अस्थाई रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन-पत्र दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों एवं परीक्षा हेतु जारी ई-प्रवेश पत्र की प्रति के साथ विश्वविद्यालय/विभाग में प्रस्तुत करना होगा। विश्वविद्यालय/विभाग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जाँच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जाँच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/टी.एस.पी./विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य शर्तों की पालना नहीं करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
11. यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि तक विस्तृत आवेदन पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत नहीं करता है तो यह माना जाकर कि अभ्यर्थी उक्त पद हेतु इच्छुक नहीं है, उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
12. माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.Special Appeal Writ No. 1631/2017 आरपीएससी बनाम प्रियंका जैन व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक विधवा/परित्यक्ता वर्ग में आवेदित महिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पश्चात् पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विधवा/परित्यक्ता वर्ग का लाभ दिया जायेगा। इसी प्रकार ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक जो आवेदक/आवेदिका विकलांग/विधवा/परित्यक्ता हुआ/हुई है, उन्हें विकलांग/विधवा/परित्यक्ता वर्ग का लाभ लेने हेतु उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अपना वर्ग अनिवार्य रूप से परिवर्तन करवाना होगा अन्यथा उसे विकलांग/विधवा/परित्यक्ता श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा। यदि परित्यक्ता/तलाकशुदा आवेदक का तलाक सम्बन्धी प्रकरण/वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन/लम्बित है एवं डिक्री पारित नहीं हुई है, तो परित्यक्ता/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। साथ ही विधवा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या विधवा/परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. आवेदक उक्त पद हेतु तभी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निश्चित निम्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सम्पूर्ण मानदण्ड/मापदण्ड पूर्ण करता हो। साथ ही इस विज्ञापन में दी गई उक्त वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं अनुभव को विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में उल्लेखित अनुसार शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण-पत्र होने पर ही पात्र माना जायेगा अन्यथा अपात्र माना जायेगा।

14. आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई निम्नतम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी।
15. परीक्षार्थियों को ई-प्रवेश-पत्र पर उल्लेखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
16. परीक्षा के दौरान प्रश्न-पत्र में अंकित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा प्रश्न-पत्र में दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण किसी प्रकार की गलती/त्रुटि के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
17. परीक्षार्थी द्वारा केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/ विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन नहीं करने/परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध विश्वविद्यालय/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) अधिनियम, 2022 एवं राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
18. यदि किसी अभ्यर्थी/परीक्षार्थी को आयोग की किसी भी भर्ती/परीक्षा बोर्ड द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग/उपभोग या अनुचित/अभद्र व्यवहार के लिए भविष्य की परीक्षाओं/साक्षात्कारों आदि से विवर्जित (Debar) किया गया है, तो उसे विश्वविद्यालय/विभाग द्वारा आयोजित परीक्षाओं/साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
19. राज्य कर्मचारी को देय लाभ यथा आयुसीमा में छूट, आरक्षण इत्यादि केवल राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को ही प्राप्त है। अन्य राज्य के कर्मचारी या केन्द्र सेवा के कर्मचारी सामान्य ही माने जायेंगे, उन्हें उक्त लाभ नहीं दिया जायेगा।

विशेष नोट :- यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद हेतु समस्त स्थिति उक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है अगर फिर भी आवेदक/ई-मित्र/अन्य स्रोतों द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती/त्रुटि/लोप/अपूर्ण सूचना रह जाती है या विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पात्रता नहीं रखता है, इत्यादि के कारण आवेदक का ऑनलाईन/विस्तृत आवेदन-पत्र विश्वविद्यालय द्वारा खारिज/निरस्त कर दिया जाता है, तो इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होगा।

आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना/अपूर्ण आवेदन-पत्र नहीं भरने के सम्बन्ध में विशेष निर्देश :- अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए परीक्षार्थियों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी नवीनतम एवं संशोधित आवेदन-पत्र व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से करते हुए आवेदन-पत्र भरें। कोई गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र भरने पर आवेदक का आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जावेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र के सुधार हेतु व्यक्तिशः/ऑफलाईन प्रार्थना-पत्र/ऑनलाईन प्रार्थना-पत्र/पत्र-व्यवहार इत्यादि स्वीकार नहीं किया जाएगा। चूंकि विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी की पात्रता की जांच सम्बन्धित भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी होने के पश्चात् अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत आवेदन-पत्र के माध्यम से पूर्व किये गये ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचना के आधार पर की जाती है। इसलिए ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को सही मानते हुए भर्ती परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जायेगा। अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अपूर्ण सूचना भरी है, तो अभ्यर्थी का चयन रद्द करने का अधिकार विश्वविद्यालय/विभाग का होगा व इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी जिसके सम्बन्ध में अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

22. विश्वविद्यालय की वेबसाइट:-

आवेदक विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.policeuniversity.ac.in पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय, जोधपुर में व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0291-3500607/9875776110 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर, लोरडी पंडित जी, विज्ञान नगर स्कीम, जोधपुर-342037 को सम्बोधित किया जाना चाहिए।

(समन्वयक/ नोडल अधिकारी)
व.वै.स एवं क.वै.स भर्ती परीक्षा 2022